न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
रंगनाथ बनाम सरकार
GCMS No- 2023/435
प्रकरण संख्या 127 / 2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 127 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 435

1. रंगनाथ पिता भज्जानाथ जी जाति कालबेलिया निवासी बेनपुरीखुर्द तहसील निम्बाहेड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा।

——अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम बेनपुरीखुर्द पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 70 की आराजी नं0 278 रकबा 0.0100 हे० गेमुचाह, आराजी नं0 279 रकबा 1.3600 हेक्टेयर लगानी 06 रुपये 80 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 1.3700 हेक्टेयर कुल लगानी 06 रुपये 80 पैसा स्थित हैं, जिनके पुराने आराजी नं० 164 मीन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे मे चली आ रही थी वादग्रस्त आराजीयात संवत् 2031 से 2034 की जमाबंदी खाता संख्या 54 में प्रार्थी का नाम रंगनाथ दर्ज चला आ रहा था, परन्तु जमाबंदी रोटेशन संवन् 2038–2041 की जमाबंदी मे राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थी का नाम रंगनाथ के बजाए रुघनाथ दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी के पिता नाम भज्जानाथ के बजाए भगवान नाथ दर्ज कर दिया, जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से हुआ हैं। जबकि प्रार्थी का नाम सभी सरकारी पहचान पत्रो व रेकार्ड में रंगनाथ पिता भज्जानाथ दर्ज चला आ रहा हैं। इसलिए प्रार्थी नवीन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रुघनाथ पिता भगवान नाथ के बजाए रंगनाथ पिता भज्जानाथ दर्ज कर, राजस्व रेकार्ड में तरमीम कर, इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी [illegible] निम्बाहेड़ा ने अनुशंषा मय जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो [illegible] अनुसार है—

1. वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 [illegible] 70 ग्राम बेनपूरीखुर्द में रुघनाथ पिता भगवाननाथ [illegible] खातेदार के नाम रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

2. साबिक राजस्व रिकॉर्ड व मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान आ.न. 278 रकबा 0.01 है. 279 रकबा 1.36 है. साबिक आ.न. 164 मी. 5 बीघा 8 बिस्वा रकबा से बना हुआ है। साबिक आ.न. 164 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि ना.स. 23 स्वीकृत सन् 1965 में रंगनाथ पिता भगवान कालबेलिया सा.देह के नाम आवंटन से दर्ज हुई थी। उक्त साबिक आराजी इसी तरह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है।

3. साबिक राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन तहसील अभिलेखागार में करने पर तत्कालीन आवंटन आ.न. 164 का साबिक नामातंरण संख्या 23 में आवंटन आदेश रंगनाथ पिता भगवान कालबेलिया के नाम का चस्पा है। उक्त नामान्तरण का अमलदरामत जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 में रंगनाथ पिता भगवाननाथ जाति कालबेलिया के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज किया गया है। जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2031–34 खाता संख्या 54 में रंगनाथ पिता भगवान नाथ कालबेलिया के नाम दर्ज चला आ रहा था। परन्तु वक्त रोटेशन 2038–41 की जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि से खाता संख्या 45 में रंगनाथ पिता भगवान नाथ कालबेलिया के बजाय रूघनाथ पिता भगवाननाथ कालबेलिया दर्ज होकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हो कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड तक एक समान रूधनाथ पिता भगवाननाथ कालबेलिया दर्ज चला आ रहा है। साबिक रिकॉर्ड में पिता का नाम कहीं भी मज्जानाथ दर्ज नहीं है। साबिक रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थी/वादी का नाम रूघनाथ पिता भगवाननाथ कालबेलिया के बजाय रंगनाथ पिता भगवाननाथ कालबेलिया दर्ज किया जाना उचित है।

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:47:59 IST
Reason: Self Attested

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकार्ड में त्रुटियों का निराकरण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

7. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वाके मौजा बेनपुरीखुर्द पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 70 की आराजी नं0 278 रकबा 0.0100 हे० गेमुचाह, आराजी नं0 279 रकबा 1.3600 हेक्टेयर लगानी 06 रुपये 80 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 1. 3700 हेक्टेयर कुल लगानी 06 रुपये 80 पैसा स्थित हैं, जिनके पुराने आराजी नं० 164 मीन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा स्थित हैं। तत्कालीन आवंटन आ.न. 164 का साबिक नामातंरण संख्या 23 में आवंटन आदेश रंगनाथ पिता भगवान कालबेलिया के नाम का चस्पा है। उक्त नामान्तरण का अमलदरामत जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 में रंगनाथ पिता भगवाननाथ जाति कालबेलिया के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज किया गया है। जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2031–34 खाता संख्या 54 में रंगनाथ पिता भगवान नाथ कालबेलिया के नाम दर्ज चला आ रहा था। परन्तु वक्त रोटेशन 2038–41 की जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि से खाता संख्या 45 में रंगनाथ पिता भगवान नाथ कालबेलिया के बजाय रूघनाथ पिता भगवाननाथ कालबेलिया दर्ज होकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हो कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड तक एक समान रूघनाथ पिता भगवाननाथ कालबेलिया दर्ज चला आ रहा है। साबिक रिकॉर्ड में पिता का नाम कहीं भी भज्जानाथ दर्ज नहीं है। साबिक रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थी/वादी का नाम रूघनाथ पिता भगवाननाथ कालबेलिया के बजाय रंगनाथ पिता भगवाननाथ कालबेलिया दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि मौजा बेनपुरीखुर्द पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 70 की आराजी नं0 278 रकबा 0.0100 हे० गेमुचाह, आराजी नं0 279 रकबा 1.3600 हेक्टेयर लगानी 06 रुपये 80 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 1.3700 हेक्टेयर भूमि में खातेदार रूघनाथ पिता भगवाननाथ के बजाए रंगनाथ पिता भगवाननाथ कालबेलिया के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 31.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner